CT/8/7/0025/2026-DIARY-CCT

I/966011/2026

NATION TAX MARKET

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर -452007 फोन नं. आ. 0731-2537140
https://www.mptax.mp.gov.in, E-mail : commissioner.ho@mptax.mp.gov.in

क्रमांक / 59

दिनांक 24.04.26

प्रति,

अनुदेश

संयुक्त आयुक्त राज्य कर,
उपायुक्त राज्य कर,
सहायक आयुक्त राज्य कर,
राज्य कर अधिकारी,
समस्त ऑडिट विंग,मध्यप्रदेश

विषय : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कम्पोजीशन प्राप्त पंजीकृत व्यक्तियों के चयनित प्रकरणों का परीक्षण

मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं को कम्पोजीशन का विकल्प प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वस्तुओं (Goods) के संबंध में कम्पोजीशन हेतु पात्रता की अधिकतम समग्र वार्षिक टर्नओवर (Aggregate Turnover) सीमा ₹1.50 करोड़ निर्धारित है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 10(2A) के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के लिए कम्पोजीशन हेतु अधिकतम समग्र वार्षिक टर्नओवर (Aggregate Turnover) सीमा ₹50 लाख निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 3 से नियम 7 में कम्पोजीशन के विकल्प, शर्तों, कर भुगतान तथा विवरणी से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

2. राज्य में कम्पोजीशन प्राप्त पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा तथा राजस्व हितों के संरक्षण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे करदाताओं में निर्धारित मापदंड के आधार पर चयन किया जाना आवश्यक है। ऐसे चयनित करदाताओं का दिनांक 01 मई 2026 से चरणबद्ध रूप से परीक्षण/स्क्रूटिनी/ऑडिट किया जाना है।

3. कम्पोजीशन प्राप्त पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रकरण निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर चयनित किये गए है:-

(i) ऐसे कम्पोजीशन प्राप्त करदाता जिनके संबंध में TDS कटोत्रा प्रदर्शित हो रहा हो।

(ii) ऐसे करदाता जिनका वित्तीय वर्ष 2024-25 सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सेवा (Service) का टर्नओवर ₹35 लाख से ₹50 लाख अथवा वस्तुओं (Goods) का टर्नओवर ₹1.25 करोड़ से ₹1.50 करोड़ के मध्य रहा हो।

(iii) ऐसे करदाता जिनका वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवा (Service) का टर्नओवर ₹35 लाख से ₹50 लाख अथवा वस्तुओं (Goods) का टर्नओवर ₹1.25 करोड़ से ₹1.50 करोड़ के मध्य रहा हो।

4. मुख्यालय द्वारा प्रकरणों का आवंटन विभागीय वेब-पोर्टल (http://10.123.1.101/tms/login.jsp)) के माध्यम से पंजीयत करदाता के क्षेत्राधिकार के ऑडिट विंग अधिकारियों को टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।

5. **कार्यप्रवाह (Workflow)**

(i) अधिकारी पोर्टल में लॉग-इन कर '**Composition Taxpayer Screening–2024-25**' मॉड्यूल का चयन करेंगे, जिसके पश्चात आवंटित प्रकरणों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें पंजीकृत, व्यक्ति (करदाता) का नाम, GSTIN, संबंधित संभाग, वृत्त आदि प्रदर्शित होंगे।

(ii) GSTIN के हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर '**Composition Taxpayer Screening Criteria**' Page खुलेगा, जहां प्रत्येक मापदंड के संबंध में वेबपोर्टल के इस पेज पर दर्शायी गई विसंगति के संबंध में GSTN BO-Web, GST Prime, E-Way Bill आदि स्रोतों से डेटा मिलान करने के उपरांत ही वेब-पोर्टल पर प्रविष्टियां की जाएं।

(iii) **'Screening Criteria'** Page में दिए गए मापदंड संकेतक के रूप में दिए गए है। इसके अतिरिक्त प्रकरण विशेष का विश्लेषण करते हुए मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, अन्तर्राज्यीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, सम्बंधित नियम, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों, आदेशों के आधार पर कर-पालन का समग्र परीक्षण किया जाना है।

(iv) अधिकारी द्वारा संबंधित मापदंड के आधार पर "**Yes/No**" चयनित किया जाएगा तथा "**Yes**" चयनित करने पर "**Proposed Discrepancy Amount", "Reason"** एवं "**Remark"** दर्ज करना अनिवार्य होगा। मापदंड के अतिरिक्त कोई बिंदु संज्ञान में आने पर **"Other"** का विकल्प प्रदान किया गया है, जिसमें प्रविष्टि की जा सकेगी।

(v) सभी प्रविष्टियों का सूक्ष्म परीक्षण कर ही प्रकरण submit किया जाएगा, क्योंकि **submit करने के पश्चात संशोधन संभव नहीं होगा।**

(vi) अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक प्रकरण में अनिवार्य रूप से निम्न में से एक प्रस्तावना का चयन किया जाएगा—

(a) Selected for Audit (ऑडिट हेतु प्रस्तावित)

(b) Selected for Scrutiny (स्क्रूटनी हेतु प्रस्तावित)

(c) No Discrepancy (कोई विसंगति नहीं)

6. प्रस्तावित प्रकरणों में आगामी कार्यवाही

(a) 'Selected for Audit' चयनित करने पर उक्त अधिकारी ही ऑडिट हेतु समुचित अधिकारी होंगे। GSTN BO-Web portal से ADT-01 जारी कर **केस आईडी क्रमांक, दिनांक एवं विसंगति राशि** वेब-पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, तत्पश्चात वेबपोर्टल पर कोई प्रविष्टी नहीं की जानी है। **ऑडिट प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही के संबंध में ऑडिट की नवीन मानक अनुपालन प्रक्रिया (SOP), अप्रैल-2026 का परिपालन सुनिश्चित किया जाएगा।**

(b) **'Selected for Scrutiny'** चयनित करने पर उक्त अधिकारी ही स्क्रूटिनी हेतु समुचित अधिकारी होंगे। GSTN BO-Web portal से FORM GST ASMT-10 जारी करने के पश्चात नोटिस का ARN, दिनांक एवं विसंगति राशि वेब-पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, तत्पश्चात वेबपोर्टल पर कोई प्रविष्टी नहीं की जानी है। आगामी समस्त कार्यवाही GSTN BO-Web portal पर ही की जाएगी।

(c) No Discrepancy (कोई विसंगति नहीं), चयनित कर Submit करते ही प्रकरण वेब-पोर्टल पर संधारित (closed) हो जाएगा।

7. सर्वप्रथम इस पत्र के खंड 3(i) के आधार पर चयनित प्रकरणों का निर्वर्तन वेब-पोर्टल पर किया जायेगा। मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर खंड 3(ii) एवं खंड 3(iii) के आधार पर चयनित प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

8. आवंटित प्रकरणों की सूची में से प्रत्येक माह 10 प्रतिशत प्रकरणों का वेबपोर्टल पर निर्वर्तन किया जाना सुनिश्चित करें।

9. परीक्षण/स्क्रूटिनी/ऑडिट के दौरान विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए—

(i) धारा 10 एवं धारा 10(2A) के अंतर्गत करदाता की कम्पोजीशन हेतु पात्रता तथा निर्धारित शर्तों का अनुपालन।

(ii) करदाता द्वारा घोषित टर्नओवर की सत्यता तथा अभिलेखों, विवरणियों, टीडीएस एवं अन्य उपलब्ध डेटा से उसका मिलान एवं विसंगतियों का परीक्षण।

(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं के टर्नओवर का सही वर्गीकरण तथा कम्पोजीशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य टर्नओवर सीमा का पालन।

(iv) बिजली का बिल, किराया, कर्मचारियों पर व्यय एवं अन्य व्ययों इत्यादि का परीक्षण कर टर्नओवर का सत्यापन।

(v) इनवर्ड एवं आउटवर्ड E-way bill के आधार पर प्रकरण का परिक्षण।

(vi) कम्पोजीशन के अंतर्गत देय राशि का सही निर्धारण एवं भुगतान।

(vii) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 3 से नियम 7 में निहित प्रावधानों के अनुपालन का परीक्षण।

(viii) टीडीएस तथा अन्य उपलब्ध डेटा के आधार पर टर्नओवर का मिलान एवं संभावित विसंगतियों का परीक्षण।

(ix) ऐसे प्रकरणों का परीक्षण किया जाए, जिनमें मालों एवं सेवाओ की आपूर्ति करने वाले व्यक्तिओं को कम्पोजीशन हेतु अपात्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

10. स्क्रूटिनी/ऑडिट की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात आवश्यकतानुसार कम्पोजीशन सुविधा समाप्त करने तथा धारा 73/74/74A की कार्यवाही हेतु करदाता के सम्बंधित क्षेत्राधिकार वृत्त में समुचित अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा |

11. विभाग को समय-समय पर प्राप्त जानकारी का उपयोग प्रकरणों के परीक्षण एवं आगामी कार्यवाही में किया जाएगा।

12. प्रगति एवं संपादित कार्यों की समीक्षा साप्ताहिक रूप से संयुक्त आयुक्त, अपर आयुक्त तथा मुख्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

13. उक्त अनुदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई होने पर प्रभारी संयुक्त आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय को सूचित करें।

समस्त अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए अधिनियम, नियम एवं प्रचलित परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की उदासीनता अथवा लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. दिनांक

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश